न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/16/2019	2019/00032	22.03.2019	06.05.2024

1. हरीप्रसाद शर्मा पुत्र पन्नालाल जाति ब्राह्मण निवासी हाल छाजूसिंह का दरवाजा सिविल लाईन्स, अलवर राजस्थान हाल ग्राम जावली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

—अपीलार्थी

बनाम

1. शिवशंकर शर्मा पुत्र हरीप्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी प्लॉट नं0 348 के सामने तीजकी अलवर राज हाल कार्यरत अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय लपाला तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर निर्णय दिनांक 28.01.2019 प्रकरण संख्या 3/37 अंतर्गत माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण—पोषण अधिनियम 2007

उपस्थितः—
01. श्री मनमीत सिंह —वकील अपीलार्थी
02. श्री दीपक कुमार सिद्ध —वकील रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलार्थी द्वारा अपील विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, अलवर के निर्णय दिनांक 28.01.2019 प्रकरण संख्या 3/37 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी कर तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड तलब किया। उभय—पक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि रेस्पो0 मिन अपीलांट का इकलौता पुत्र है और अपीलांट के बुढापे की सभी जरूरतों एवं इच्छाओं तथा उसके मान सम्मान का आधार है तथा इसी पर अपीलांट एवं उसकी पत्नी की समस्त इच्छाऐ एवं आकांक्षाऐं निर्भर करती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपीलांट ने रेस्पो0 का बचपन से पालन पोषण कर उसे पढा लिखा कर बडा किया तथा इसी वजह से आज रेस्पो0 राजकीय सेवा में अध्यापन का कार्य कर रहा है। रेस्पो0 जो विवाह के बाद अपने सास—ससुर एवं पत्नी के सिकाये में आकर अपने माता—पिता एवं अपीलांट के प्रति अपने फर्ज को लगभग भूल चुका है तथा उसने धन के लालच में आकर अपीलांट के घर में घरेलू झगडा कराकर अपीलांट को अपने घर का बटवारा करने पर मजबूर कर दिया। अपीलांट ने भी रोज—रोज के गृहक्लेश से तंग आकर तथा घर की स्थिति अधिक डामाडोल होने से बचाने की नियत से एवं रेस्पो0 जो कि अपीलांट का एकमात्र पुत्र है पर अपने बुढापे की आशाओं एवं इच्छाओं तथा बुढापे से रेस्पो0 से मिलने वाली मदद को ध्यान में रखते हुए रिश्तेदारों व मौजिज लोगो के कहने पर व उनके समक्ष रेस्पो0 द्वारा भी अपीलांट के बुढापे का सहारा बनने की एवं उसके बुढापे में उसके हर प्रकार से सेवा करने दवा दारू इत्यादि का खर्चा वहन करने का आश्वासन देने पर अपीलांट ने अपने घर की सम्पत्ति को खुर्द—बुर्द कर रेस्पो0 को दिनांक 10.02.2012 को 20 लाख रूपये नगद देना उचित समझा और रेस्पो0 को 20 रूपये अदा कर उससे रसीद भी लिखवा ली एवं गवाही गवाहान करा दी। किन्तु रेस्पो0 इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसका अपीलांट व उसके परिजन को तंग परेशान करना जारी रहा और उसे अपीलांट से और पैसों की मांग की। चूंकि अपीलांट बुढापे में रेस्पो0 पर ही निर्भर होने वाला है इस बात को ध्यान में रखते हुए अपीलांट ने रेस्पो0 के कहने पर उसे दिनांक 15.04.2012 को 4 लाख रूपये और अदा किये। किन्तु रेस्पो0 सारे संबंध तोड चुका है। वर्तमान में रेस्पो0 अपनी पत्नी को लेकर अलग निवास कर रहा है तथा समाज

जिला कलक्टर, अलवर

में अपने माता–पिता को बदनाम करने पर तुला हुआ है। रेस्पो0 अपनी माता गायत्री देवी को भी अपने साथ लेकर उसके हिस्से का रूपया पैसा गहने जेवर आदि भी लेकर हजम कर चुका है तथा उसे घर से भगा दिया है। इस प्रकार रेस्पो0 अपना पुत्र धर्म निभाने से पूरी तरह विमूख हो चुका है। अपीलांट ने प्रा0पत्र पेश कर रेस्पो0 से उसे दिये हुए 24 लाख रूपये मय ब्याज वापस दिलाये जाने का निवेदन किया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया। रेस्पो0 ने उप0 होकर गलत आधार पर जवाब प्रा0पत्र पेश किया। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य निर्णय दिनांक 28.01.2019 को पारित कर मिन अपीलांट का परिवाद प्रा0पत्र खारिज फरमा दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 28.01.2019 निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो0 से उसे दिये गये 24 लाख रूपये मय ब्याज दिलाये जाने की आज्ञा फरमावें।

विद्वान वकील रैस्पो0 ने जवाब एवं लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि परिवादी ने अधीनस्थ न्यायायल में परिवाद पेश तो किया है लेकिन गलत, असत्य, मनगढंत तथ्यों के आधार पर पेश किया है और प्रार्थी अपीलांट बार–बार कभी स्वंय के नाम से तो कभी अपनी पत्नी को बहकाकर उसके नाम से अप्रार्थी रेस्पो0 के विरूद्ध मुकदमें भिन्न–भिन्न न्यायालयों में करता चला आ रहा है। मिन रैस्पो0 द्वारा गृहक्लेश को दूर करने की गरज से समझाईश की और दिनांक 10.02.2012 को फेमली सेटलमेंट किया। यह कहना गलत है कि रेस्पो0 विवाह के बाद अपने सास, ससुर एवं पत्नी के बहकावे में आकर माता–पिता के प्रति फर्ज को भूल चुकय हो, सही तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट स्वंय सेवानिवृत राज्य कर्मचारी है जिसे प्रति माह पेंशन प्राप्त हो रही है और अपीलांट स्वंय सक्षम एवं सम्पन्न है। ग्राम जावली में दो मकान है, जिनमें से एक मकान का विकय कर चुका है तथा जमाशुदा राशि और अपीलांट ने प्रोपर्टी डिलींग का विशाल पैमाने का कार्य किया है और कर रहा है। रेस्पो0 के माता–पिता मात्र इस कारण से नाराज चले आ रहे है कि अपीलांट की बात को रेस्पो0 ने मानने से इंकार कर दिया। अपीलांट व उसकी पत्नी पारीवारिक समझौता दिनांक 10.02.2012 से पावंद है जो पक्षकारान के दरम्यान तहरीर व तकमील किये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा परिवाद पत्र सही तौर पर खारिज फरमाया है। रेस्पो0 किसी के बहकावे में नहीं है। रेस्पो0 पूर्व से अपने माता–पिता का अपने साथ सम्मान पूर्वक रखने को तैयार है। बल्कि अपीलांट व उनकी पत्नी रेस्पो0 के साथ नही रहना चाहते है। दिनांक 15.04.2012 को समझौता नामा में चार लाख रूपये दिये जबकि समझौता नामा दिनांक 16.04.2012 है, पैतृक मकान में हिस्सा नहीं लेने की एवज में धनराशि दी गयी थी, जो समझौता नामा में वर्णित है। रेस्पो0 की पत्नी श्रीमति हेमलता के 20 वर्ष तक कोई संतान नहीं है और एक किडनी होने के कारण बीमान रहने की वजह से अपीलांट व उसकी पत्नी रेस्पो0 पर दबाव देते है कि वह उसे तलाक दे दे, जबकि रेस्पो0 यह नहीं चाहता है और अपनी पत्नी का संतान होने का इलाज करवा रहा है, जिसमें लाखों रूपये खर्चा हो चुका है। रेस्पो0 जो भी भर्ती परीक्षा में रिवाईज रिजल्ट की कटऑफ मेरीट लिस्ट से बाहर होने के कारण अन्य नौकरी भर्ती परीक्षा की तैयारी में काफी पैसा पढाई, लिखाई, किताब आदि में खर्चा होता है एवं रेस्पो0 तिजारा में किराये के मकान में रहता है और अपने निवास तिजारा से 13 किमी. दूर मोटरसाईकिल से अपनी ड्यूटी विद्यालय जाता है और पेशीयों पर जाने से भी रेस्पो0 को अवैतनिक अवकाश लेने पडते है। अपीलांट द्वारा पहले भी अपनी धर्म पत्नी श्रीमति गायत्री देवी से एसडीएम साहब अलवर के यहां भरण पोषण का मुकदमा रेस्पो0 के विरूद्ध पेश कराया था जो खारिज हो गया था, उसकी अपील भी जिला कलक्टर अलवर में पेश की। वह भी न्यायालय से खारिज हो चुकी है। गायत्री देवी के द्वारा धारा 125 जा0फौ0 का मुकदमा भी पेश किया था जो पारिवारिक न्यायालय अलवर से दिनांक 19.09.2019 को खारिज हो चुका है। अपीलांट आर्थिक रूपसे पूर्ण सक्षम है जिसने अपने समाज हरियाणा गौड ब्राह्मण महासभा मे 40 हजार रूपये का चंदा दान में दिया है। अपीलांट एनजीओ कोमी एकता साहित्य संस्था चलाते है जो हिन्दू मुस्लीम एकता के लिए कार्य करती है, जिसके अध्यक्ष स्वंय अपीलांट है और व्यवहारिक रूप से भी सम्पन्न व्यक्ति ही संस्थान चला सकता है निर्बल व्यक्ति नहीं है। अपीलांट पहले भी अपनी पत्नी गायत्री देवी को बहकाकर इस अधिनियम के तहत भरण पोषण प्राप्त करने का मुकदमा पेश करा दियां, जो विचारण के बाद दिनांक 20.06.2014 को खारिज किया गया है जिस की अपील भी पेश की गयी। उक्त अपील सं0 12/90/2014 गायत्री देवी बनाम शिवशंकर शर्मा जिसका निर्णय न्यायालय जिला कलक्टर अलवर से दिनांक 21.04.2015 को किया जाकर खारिज फरमाई गई। गायत्री देवी से पारीवारिक न्यायालय अलवर से भी भरण पोषण प्राप्त करने हेतु धारा 125 जा0फौ0 का मुकदमा

जिला कलक्टर, अलवर

वहकाकर कराया गया था जिस का निर्णय दिनांक 20.12.2016 को होकर खारिज हो चुका है। पारिवारिक न्यायालय अलवर से दिनांक 19.09.2019 के विरूद्ध मान0 राज0 उच्च न्यायायल जयपुर में एसवी किमिनल रिट पिटीशन सं0 2802/2019 पेश की जिसका निर्णय दि0 18.07.2023 को किया गया और पुनरीक्षण याचिका निरस्त की गयी। जिसमें अपीलांट ने अपनी स्वंय साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि सेवानिवृत होकर पेंशन प्राप्त करता है और वह एक समृद्ध व्यक्ति है। रेस्पो0 ने अपने माता–पिता के साथ कभी भी झगडा और मारपीट नहीं की है और एफआईआर दर्ज मिथ्या तौर पर कराई जिस प्रकरण में रेस्पो0 बरी हेा चुका है। अपीलांट ने अपनी पत्नी गायत्री देवी से रैस्पो0 के विरूद्ध एक मिथ्या एफआईआर दर्ज कराई हुई है जिस पर अपीलांट व उसकी त्नी ने मिथ्या साक्ष्य पेश किया और जिस पर 406 आईपीसी में प्रसंज्ञान लिया गया है जो प्रकरण का विचारण न्यायालय में है। अपीलांट, रेस्पो0 के विरूद्ध बार–बार मिथ्या आधारों पर मुकदमें फौजदारी व दिवानी पेश करवाकर दबाव बनाने के लिए प्रयासरत है और अपीलांट हर सूरत में रेस्पो0 पर दबाव बनाकर अपनी मनमानी शर्ते मनवाने की कौशिश करता है जिसके लिए पूर्व में भी समाज के व्यक्तियों ने विवाद को समाप्त करने के लिए राजी नामा कराने का प्रयास किया, लेकिन अपीलांट राजीनामा करने की हां करने के बाद भी मुकर गया और राजीनामा नहीं किया। रेस्पो0 का ट्रांसफर हो गया है और हाल में किरायेदार ब्रह्मदत्त जी के मकान नं0 ऐ–314 राठ नगर, अलवर में निवास कर रहा है। अतः अपील अपीलांट मय हर्जा खर्चा खारिज फरमायी जावें।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की लिखित बहस पर चिन्तन–मनन किया। अपीलांट द्वारा अपील में मुख्य तथ्य यह अंकित किया है कि रेस्पो0 से अपीलांट द्वारा दिये गये 24 लाख रूपये मय ब्याज दिलाये जावें। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में अन्य किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा है। उक्त अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान यह है कि भरण पोषण हेतु राशि उसी स्थिति में दिलायी जा सकती है जब अपीलांट के पास आय का कोई साधन नहीं हो। जबकि अपीलांट राजकीय सेवा से सेवानिवृत कर्मचारी है जिसे नियमानुसार पेंशन प्राप्त हो रही है। अपीलांट ने अपनी पत्नी गायत्री देवी के द्वारा पूर्व में उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां उक्त अधिनियम के तहत प्रा0पत्र पेश किया था। उक्त प्रा0पत्र भी समान तथ्यों पर आधारित था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दि0 20.06.2014 को खारिज किया गया। तदोपरांत अपीलांट की पत्नी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई, जिसे भी दिनांक 21.04.2015 को खारिज किया गया था। अपीलांट द्वारा समान तथ्यों पर बार–बार प्रा0पत्र पेश किये जाते है। ऐसी स्थिति उक्त अपील उक्त अधिनियम के अंतर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। रेस्पो0 द्वारा अपनी लिखित बहस के साथ पारिवारिक न्यायालय अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.09.2019 के विरूद्ध मान0 राज0 उच्च न्याया0 जयपुर द्वारा उनके मध्य किये गये निर्णय की सत्यप्रतिलिपि पेश की गयी है जिसमें मान0 न्यायालय द्वारा यह अंकित किया गया है कि "अपीलांट सेवानिवृत होकर पर्याप्त पेंशन प्राप्त कर रहा है जो स्वंय का तथा अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में सक्षम है। अतः प्रार्थीया (अपीलांट की पत्नी) धारा 125 जा0फौ0 के प्रावधानों के अंतर्गत अपने पुत्र रेस्पो0 से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है" ऐसी स्थिति में भी उक्त अपील उक्त अधिनियम के अंतर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट अलवर का निर्णय दिनांक 28.01.2019 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अलवर (राज0)

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अलवर (राजस्थान)

जिला कलक्टर, अलवर